कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधुबनी

निविदा आमंत्रण सूचना

माननीय सांसद श्री वीरेन्द्र कुमार चौधरी लोकसभा क्षेत्र, झंझारपुर द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत अपने संसदीय क्षेत्राधीन मधुबनी जिला के 60 (साठ) प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों, 32 (बत्तीस) उच्च विद्यालयों एवं 16 (सोलह) कॉलेजो/पुस्तकालय में पुस्तकों का क्रय (पुस्तकों की सूची के साथ) की अनुशंसा की गयी है। उस अनुशंसा के आलोक में व्यावसायिक छूट के बाद कुल 22 लाख (बाईस लाख रूपये मात्र) की पुस्तकों का क्रय किया जाना है। पुस्तक क्रय करने हेतु प्रकाशकों/वितरकों एवं अधिकृत विक्रेताओं से मुहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है।

विद्यालयों/महाविद्यालयों के लिए पुस्तकों की सूची कार्यालय अवधि में जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय, मधुबनी या मधुबनी जिला के वेबसाईट www.madhubani.bih.nic.in पर देखा जा सकता है तथा अपने निजी खर्च पर छायाप्रति प्राप्त की जा सकती है। इसके लिए निर्धारित शर्त्त के साथ तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग–अलग मुहरबंद लिफाफे में दिनांक 14.09.2016 बुधवार को 2:00 बजे अपराह्न तक जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय, मधुबनी में दाखिल कर सकते हैं। क्रय समिति के समक्ष निविदा अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में दिनांक 14.09.2016 को ही अपराह्न 4:00 बजे खोली जायेगी, जिसमें निविदादाता या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि भाग ले सकते हैं।

तकनीकी निविदा की शर्त्ते :–

1. निविदादाता द्वारा तकनीकी निविदा के लिफाफे में निम्नलिखित कागजात रखे जायेंगे :–
   I. जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधुबनी के पदनाम से मो0 25000/– (पचीस हजार रूपये.) रूपये का बैंक ड्रॉफ्ट अग्रधन के रूप में संलग्न करना अनिवार्य होगा जो स्टेट बैंक आफॅ इंडिया, मधुबनी में भुगतेय होगा।
   II. आयकर पैन नंबर एवं वर्ष 2014–15 का आयकर रिटर्न की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करनी होगी।
   III. निविदाताओं को शपथ पत्र देना होगा कि वे काली सूची में कभी भी नहीं लाये गये हैं।
2. तकनीकी निविदा के सफल निविदादाता की ही वित्तीय निविदा पर विचार किया जायेगा।

वित्तीय निविदा की शर्ते :–

1. क्रय की जाने वाली पुस्तकों के टाईटिल पृष्ठ एवं मूल्य में किसी प्रकार का परिवर्त्तन/संशोधन मान्य नहीं होगा ।
2. बाल साहित्य के अतिरिक्त अन्य पुस्तकें 60 पृष्ठ से कम रहने पर मान्य नहीं होगा ।
3. क्षति ग्रस्त अथवा न्यूजप्रिन्ट पर छपी पुस्तकें स्वीकार नहीं की जाएगी ।
4. किसी प्रकाशक की अधिकाधिक 10 बीस आख्या (Titles) पुस्तक नमूने के रूप में स्वीकार की जाएगी। प्राप्त नमूने की पुस्तकें लौटाई नहीं जाएगी और न उसका मूल्य देय होगा ।
5. एक पुस्तक रूपया 1000/– (एक हजार) एकल से अधिक नहीं होगा ।
6. प्रत्येक पुस्तक अधिमानतः आई0एस0बी0एन0 संख्या के साथ ही स्वीकार होगा ।
7. नमूने के रूप में प्रस्तुत पुस्तकें रेल पार्सल से स्वीकार नहीं की जाएँगी ।
8. नमूने के रूप में प्रस्तुत पुस्तकों में निम्नांकित सूचनाएं वित्तीय निविदा के लिफाफे में निविदाकर्त्ता द्वारा निश्चित रूप से अंकित की जाएगी ।

क्र0	पुस्तक का नाम	लेखक का नाम एवं पूरा पता	प्रकाशक का नाम एवं पूरा पता	विषय	प्रकाशन वर्ष	पृष्ठ संख्या	सजिल्द/अजिल्द एवं मूल्य मुद्रित
1							
2							

9. नमूने की एक–एक प्रति कार्यालय अवधि में विशेष वाहक तथा रजिस्टर्ड पार्सल द्वारा प्रकाशन की तिथि से 30 (तीस) दिनों के अंदर प्राप्त की जाएगी । उक्त तिथि के बाद प्राप्त किसी पुस्तक पर विचार नहीं किया जाएगा । इसके लिए सरकार द्वारा किसी प्रकार का व्यय वहन नहीं किया जाएगा ।
10. वित्तीय निविदा के लिफाफे में निविदाकर्त्ता विभिन्न प्रकाशन संस्थाओं के लिए (अलग–अलग) मुद्रित दर पर उनके द्वारा दिये जा रहे छूट का प्रतिशत निम्नांकित प्रपत्र में स्पष्ट रूप से अंकित करेंगे :–

क्र0	पुस्तक का नाम	आई0एस0बी0एन0 नं0	लेखक का नाम	मुद्रित दर	छूट की राशि (प्रतिशत में)
1					
2					

अन्य शर्त्ते :–

1. सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत न्यूनतम पॉच क्रयादेश प्राप्त करने वाले निविदादाता को वरीयता दी जायगी। निविदा के साथ क्रयादेश की छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
2. स्वीकृत निविदादाता को सुसंगत शर्त्त के अनुरूप अनुबंध/एकरारनामा दाखिल करना होगा।
3. कार्यहित एवं सुविधा के दृष्टिकोण से न्यूनतम दर पर उक्त कार्यो को एक से अधिक निविदादाता को भी आवंटित किया जा सकता है।
4. किसी भी निविदा को बिना कारण बताए स्वीकार/अस्वीकार करने का सर्वाधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास पूर्णतः सुरक्षित रहेगा।
5. सामग्री की आपूर्ति उपलब्ध कराये गये नमूने के आधार पर निर्धारित मापदंड/गुणवत्ता मॉंग एवं दर के अनुरूप करनी होगी, अन्यथा समानुपातिक रूप से विपत्र से कटौती करते हुये भुगतान की जायेगी।
6. अनुमोदित आपूर्त्तिकर्त्ता को मॉंग आदेश प्राप्ति के 60 (साठ) दिनों के अंदर आपूर्त्ति करनी होगी।

23-8

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
मधुबनी

23/8/16